



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 16.11.2024

- ❖ जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत साइबर क्राइम थाना जनपद कानपुर देहात पुलिस को मिली सफलता।
- ❖ साइबर अपराधी द्वारा शिकायतकर्ता से सोशल मीडिया साइट पर सम्पर्क कर आनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा लाखों रुपये कमाने के नाम पर कुल 5,14,375/- रुपये की साइबर ठगी की गयी।
- ❖ साइबर क्राइम थाना ने शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत पर कार्यवाही करते हुए कुल धनराशि 5,14,375 /- रुपये को वापस कराया।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्रीमान बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में साइबर क्राइम से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, शिकायतकर्ता श्री आशीष तोमर पुत्र श्री औंकार सिंह निवासी नोनारी बुजुर्ग जनपद कानपुर देहात के साथ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल करके बताया गया कि आनलाइन ट्रेडिंग का काम करता हूं और कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आप घर बैठकर लाखों रुपये कमा सकते हो, जिसके पश्चात दिनांक 03.05.2024 को फ्राडर द्वारा आवेदक से अलग-अलग क्यूआर कोड पर दिनांक 09.06.2024 से 24.07.2024 तक कुल धनराशि 5,14,375/- रुपये की साइबर ठगी की गयी। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जिस पर थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर अपराधी के वॉलेट/बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज कराया गया एवं शिकायतकर्ता के बैंक खाते में कुल धनराशि 5,14,375/- रुपये वापस कराये गये। पुलिस/साइबर पुलिस की त्वरित कार्यवाही से शिकायतकर्ताओं ने जनपद कानपुर देहात पुलिस का धन्यवाद दिया।

वापस करायी गयी कुल धनराशि-

कुल 5,14,375/- रुपये

धनराशि वापस कराने वाली साइबर क्राइम पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री अब्दुल कलाम साइबर क्राइम थाना जनपद कानपुर देहात।
2. का0 कृष्ण कुमार साइबर क्राइम थाना जनपद कानपुर देहात।
3. का0 159 बलजीत साइबर क्राइम थाना जनपद कानपुर देहात।
4. का0 शाहरूख अहमद साइबर क्राइम थाना जनपद कानपुर देहात।